XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3202-II/15 जिला जबलपुर

चन्द्रलेखा / शमीम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.8.15	आवेदक की ओर से श्री अनिल उपाध्याय अभि. उप.। प्रकरण आपत्ति पर तर्क हेतु पे.ति. 23.9.15 [signature] सदस्य	[signature] 26/8/15 R+23/9/15
23.9.15	आवेदक / अनावेदक अभिभाषक को पुकार लगाई गई। [illegible] बार पुकार लगायी गई के उपरान्त भी न तो आवेदक और न ही अनावेदक अभिभाषक [illegible] के उपरान्त [illegible] लगातार [illegible] आवेदक को प्रकरण में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण अदम पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। [signature] सदस्य	

CANCELLED

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. जबलपुर कैम्प

राजस्व अपील प्रक.क्र.– R · 3202-III/14

श्रीमति चंद्रलेखा उर्फ काशमी अंजुम पति रियाज अहमद अंसारी निवासी आजाद चौक सिहोरा तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

————पुनरीक्षणकर्ता

श्री आशीष उपाध्याय
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
27 AUG 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरूद्ध

1. शमीम अहमद पिता स्व0 अलि रजा अंसारी उम्र 43 वर्ष निवासी वार्ड नं0 5 सिहोरा जिला जबलपुर
2. म.प्र. द्वारा तहसीलदार सिहोरा

————उत्तरापेक्षीगण

995

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959

अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय सिहोरा द्वारा रा.प्रक.क्र. 01–अ–12/12–13 में पारित आदेश दिनांक 19/11/12 से व्यथित होकर अन्य के साथ निम्न लिखित आधारों पर यह पेश करती है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि अपीलार्थी की भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम मनसकरा प0ह0नं0 6 रा0नि0मं0 खितौला तहसील सिहोरा जिला जबलपुर में है जिसका ख0नं0 492/4 रकबा 0.013 है0 है। इस भूमि के सीमांकन का आवेदन अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था किन्तु अपीलार्थी की भूमि का सीमांकन इस आधार पर नहीं किया गया कि नक्शा में बटांक नहीं बने हुए हैं और उसी खसरा नं0 के अन्य बटांक 492/21 रकबा 0.004 के सीमांकन का आवेदन उत्तरापेक्षी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की आपत्ति के बावजूद उत्तरापेक्षी की भूमि का सीमांकन कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण पेश है।

पुनरीक्षण के आधार

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने पारित आदेश में प्रकि्या एवं विधि संबंधी भूल की है अतः इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह देखने में भूल की है कि खसरा नं0 492/4 तथा खसरा नं0 492/21 एक ही खसरा नं0 492 के बटांक हैं और जब एक बटांक का सीमांकन नहीं हो सकता है तो फिर दूसरे बटांक का सीमांकन कैसे हो सकता है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह देखने में भूल की है कि खसरा नं0 492/21 खसरा नं0 494/4 से ही भूमि खरीदने के कारण बना है। और जब मूल खसरा

Smt K. Anjum